भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †1718

उत्तर देने की तारीख- 13/02/2023

पश्चिम बंगाल में एनएसटीएफडीसी

†1718. श्री दिलीप घोष:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसका जिला-वार, भौतिक/वित्तीय निष्पादन क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में जनजातीय महिलाओं के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के ऋणों के तहत उन्हें प्राप्त प्रस्तावों और प्राप्त अनुमोदनों का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में योजना-वार कितनी निधि का आबंटन हुआ है और इसका कितना उपयोग हुआ है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

(क): जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) जो कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है अन्य आय सृजन गतिविधियों/स्व-रोजगार के लिए पात्र अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को, अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से रियायती ऋण प्रदान करता है। एनएसटीएफडीसी की योजनाएं पूरे देश में कार्यान्वित की गई हैं जो इस प्रकार हैं:

i. **सावधि ऋण योजना:** एनएसटीएफडीसी 50.00 लाख प्रति इकाई (उद्यम) तक की लागत वाली व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए सावधि ऋण प्रदान करता है। इस योजना के तहत, परियोजना की लागत के 90% लागत तक वित्तीय सहायता दी जाती है और शेष की पूर्ति सब्सिडी/प्रमोटर (प्रोत्साहक) अंशदान / मार्जिन मनी के माध्यम से की जाती है।

ii. **आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई):** यह केवल अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए रूप से एक अनन्य (विशिष्ट) योजना है। इस योजना के अंतर्गत, 2.00 लाख तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए एनएसटीएफडीसी द्वारा 90% तक ऋण प्रदान किया जाता है।

iii. **स्वयं सहायता समूहों को लघु (माइक्रो) ऋण योजना (एमसीएफ):** यह अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की छोटी-छोटी ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वयं सहायता समूहों हेतु एक अनन्य (विशिष्ट) योजना है। इस योजना के तहत, निगम प्रति सदस्य ₹ 50,000/- तक और प्रति स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को अधिकतम ₹ 5 लाख तक का ऋण प्रदान करता है।

iv. **'आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एएसआरवाई)':** यह, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को भारत में पीएचडी सहित तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए व्यय को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षा ऋण योजना है। इस योजना के तहत, निगम प्रति पात्र परिवार को 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। छात्र अधिस्थगन अवधि के दौरान अर्थात पाठ्यक्रम की अवधि और पाठ्यक्रम

पूरा होने के एक वर्ष बाद या नौकरी मिलने के छह महीने बाद तक, जो भी पहले हो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र हैं।

v. **'अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उद्यमियों के लिए मार्जिन मनी सपोर्ट स्कीम'**: भारत सरकार की 'स्टैंड-अप इंडिया' योजना के तहत परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए, दिसंबर 2020 में " अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उद्यमियों के लिए मार्जिन मनी सपोर्ट स्कीम" नामक एक पृथक योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत स्टैंड-अप इंडिया योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जनजाति (एसटी) के पात्र उद्यमियों को मार्जिन मनी सपोर्ट के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने की अनुमति है।

vi. **जनजातीय वन निवासी सशक्तिकरण योजना:** योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के वनवासियों को 'वन अधिकार अधिनियम, 2006' के तहत निहित भूमि अधिकारों के प्रति जागरूकता बनाना, लाभार्थियों को प्रशिक्षित करना, एनएसटीएफडीसी की रियायती वित्तीय सहायता देना, बाजार संपर्क (लिंकेज) आदि में सहायता करना है। योजना के तहत, एनएसटीएफडीसी ₹ 2 लाख तक की लागत वाली योजनाओं के लिए 90% तक ऋण प्रदान करता है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य को संवितरित निधि और सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	संवितरण (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या
2017-18	528.64	3327
2018-19	1,283.30	9078
2019-20	558.86	4250
2020-21	275.64	2089
2021-22	573.92	4515
कुल	**3,220.36**	**23259**

(ख): कार्यान्वयन एजेंसियों से जिलावार प्रस्ताव प्राप्त नहीं होते हैं। एएमएसवाई विशिष्ट रूप से महिलाओं के लिए एक विशेष योजना है और इस योजना के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में प्राप्त और स्वीकृत प्रस्तावों का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	**एमएसवाई के तहत प्राप्त एवं स्वीकृत प्रस्ताव (लाख रुपए में)**
2017-18	7.20
2018-19	20.25
2019-20	30.51
2020-21	6.35
2021-22	14.64
कुल	**78.95**

(ग): एनएसटीएफडीसी की स्कीमें मांग आधारित हैं और इस योजना के तहत निधि का राज्य-वार कोई आवंटन नहीं किया जाता है।

*****